न्यायालयः विशिष्ट न्यायाधीश, एनडीपीएस मामलात, जैसलमेर

(सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर)

पीठासीन अधिकारी	–	**श्री ओमी पुरोहित**
जमानत प्रार्थना पत्र	–	**154/2026**
सेशन प्रकरण संख्या	–	**114/2023**
अनवान	–	**राज्य बनाम जोगेन्द्रसिंह व अन्य**

गुलाबसिंह पुत्र तनेराजसिंह, उम्र 50 वर्ष, निवासी मिठडाउ हाल बांकीदास की ढाणी, म्याज्लार, पुलिस थाना झिंझनियाली, जिला जैसलमेर। **–प्रार्थी/अभियुक्त**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक **–अप्रार्थी**

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

उपस्थितः–

01. श्री मदनसिंह सोढ़ा, लीगल एंड डिफेंस काउंसिल, विद्वान अधिवक्ता, वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त।

02. श्री श्यामपालसिंह राठौड, विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक, वास्ते राज्य।

आदेश **दिनांक–29.04.2026**

01. प्रार्थी/अभियुक्त गुलाबसिंह की ओर से यह प्रथम जमानत आवेदन धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसका निस्तारण इस आदेश द्वारा किया जा रहा है। नकल विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक को दिलायी गयी। प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

02. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 10.04.2023 को वक्त 05.20 एएम पर भवानी सिंह पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी कोतवाली जैसलमेर को मुखबिर सूचना मिली कि "जोगेन्द्रसिंह पुत्र जालमसिंह राजपूत निवासी बाबा बावड़ी जैसलमेर के पास बाबा बावड़ी जैसलमेर स्थित उसके घर पर मादक पदार्थ है तुरंत तलाशी ली जावें नहीं तो मादक पदार्थ खुर्द बुर्द हो सकता है।" वगैरा इतिला को अंतर्गत धारा 42 एनडीपीएस एक्ट के अभिलिखित किया गया तथा सूचना को धारा 42(2) एनडीपीएस एक्ट के तहत उच्चाधिकारियों को प्रेषित की गई, मुखबिर इतिला विश्वसनीय होने तथा रात्रि का समय होने व न्यायालय बंद होने के कारण खाना

तलाशी वारंट प्राप्त करने में विलंब होने से अवैध मादक पदार्थ के खुर्द बुर्द होने की पूर्ण संभावना के मध्यनजर बिना वारंट ही तलाशी लेना आवश्यक होने से इतिला की तस्दीक हेतु थानाधिकारी भवानीसिंह निरीक्षक पुलिस मय उपरोक्त जाब्ता के थाना से बक्त 05.36 एएम रवाना होकर डीआरडी चौराहा पर पहुंचा जहाँ पर कौशलाराम कानि. 174 को स्वतंत्र मौतबिरान की तलबी हेतु नोटिस देकर रवाना किया गया तथा मय जाब्ता रवाना होकर मुखबीर सूचना अनुसार बाबा बावड़ी स्थित जोगेन्द्रसिंह के घर के आगे पहुंचा। वक्त 06.00 एमएम पर कोई स्वतंत्र मौतबिर तैयार नहीं होने पर जाब्ता में से दिनेश कुमार हैड कानि.74 व राजेन्द्रप्रसाद हैड कानि. 96 से मौतबीर बनने की सहमति प्राप्त कर मौतबिर मामुर किया गया। ताबाद जोगेन्द्रसिंह पुत्र जालम सिंह के बाबा बावड़ी स्थित घर के मुख्य दरवाजे को बजाया तथा दरवाजा खोलने की आवाज दी तो एक शख्स मुख्य दरवाजे के पास आया व दरवाजा खोला जिसको थानाधिकारी द्वारा नाम पता पूछा तो अपना नाम जोगेन्द्रसिंह पुत्र श्री जालम सिंह राजपूत निवासी जसकरणपुरा, बडोड़ा गांव पुलिस थाना सदर जैसलमेर हाल निवासी बाबा बावड़ी जैसलमेर पुलिस थाना कोतवाली जैसलमेर जिला जैसलमेर होना बताया तथा उक्त मकान में स्वयं ही निवास करना बताया।

03. रिपोर्ट में आगे अंकित किया कि जोगेन्द्र सिंह को मुखबिर की ईतला से अवगत करवाकर धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस दिया जाकर उसके अधिकारो से अवगत करवाया गया कि आपको कानूनी अधिकार है कि आप अपनी व अपने मकान की तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट से लिरवा सकते है जो आपको उन्मोचित भी कर सकते है जिस पर जोगेन्द्र सिंह ने अपनी व अपने मकान की तलाशी थानाधिकारी भवानी सिंह नि.पु. से लिरवाने की सहमति लिखित में दी। जोगेन्द्र सिंह से मुखबिर सूचना अनुसार मादक पदार्थ अपने कब्जे में होने के संबंध में पूछा तो घबराने लगा तथा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। मकान की तलाशी हेतु फर्द बिना वारंट खाना तलाशी मुर्तिब की गई। जोगेन्द्र सिंह को उसके मकान में किसी महिला के होने की सुरत में उसे अलग सुरक्षित स्थान पर खड़े रखने की हिदायत की गई। विधि अनुसार थानाधिकारी व मामूरा मौतबिरान तथा जाब्ता ने अपनी जामा तलाशी जोगेन्द्र सिंह को दी जाकर मकान में प्रवेश होकर जोगेन्द्रसिंह के मकान की तलाशी एक से कोने लेना शुरू की गई तो मकान के अन्दर मुख्य दरवाजे से प्रवेश करते ही दाहिनी तरफ बने स्टोर के कमरे की बिना जाली की खिड़की लगी हुई जो खुली थी उस खिड़की में से कमरे में जोगेन्द्र सिंह को लेकर प्रवेश किया उस कमरे

का दरवाजा बाहर से लॉक व अन्दर से कुण्डी लगी हुई जिस कमरे में रखी टेबल पर खाली कार्टूनों के बीच में एक चोकड़ीदार चद्दर में पोटली बंधी हुई मिली, जिस पर जोगेन्द्र सिंह को उक्त बंधी पोटली में भरे सामान बाबत पूछा तो घबरा गया व लड़खड़ती जुबान से कहा कि इसमें हेरोईन के पैकेट है, जिस पर पोटली को खोलकर चैक किया गया तो कुल आठ पैकेट प्लास्टिक के मेहरून रंग के भरे हुए पाये गये।

04. रिपोर्ट में आगे अंकित किया कि प्रत्येक पैकेट पर Caffe MISCELA PREGIATA DI CAFFE MACINATA PER ESPRE लिखा हुआ तथा कप प्लेट का निशान बना हुआ है, प्रत्येक पैकेट के अन्दर सफेद प्लास्टिक की थेली उस प्लास्टिक की थैली के अन्दर एक सफेद कपड़े की थैली, जिस पर 8733 व अन्य भाषा में कुछ लिखा हुआ तथा 2022 VIP लिखी हुई मार्का प्रिंट है जिसमें प्लास्टिक की पारदर्शी थैली के जिसके अन्दर दानेदार हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ भरा हुआ मिला। जिस पर अच्छी तरह से प्रत्येक पैकेट की सभी पैकेजिंग को खोलकर चैक किया व अनुसंधान बॉक्स में मौजूद ड्रग डिटेक्शन किट से प्रत्येक पैकेट को चैक किया गया तो प्रत्येक पैकेट में मादक पदार्थ हेरोईन होना पाया गया। जोगेन्द्र सिंह को उसके कब्जे में मिले उक्त मादक पदार्थ हेरोईन को अपने कब्जा में रखने व परिवहन करने बाबत् वैध लाईसेंस/परमिट के बारे में पूछा तो अपने पास कोई वैध लाइसेंस/परमिट नहीं होना बताया। जोगेन्द्र सिंह द्वारा अवैध रूप से मादक पदार्थ हेरोईन अपने कब्जा में रखना जुर्म धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध होने से जोगेन्द्र सिंह के पास मिले अवैध मादक पदार्थ हेरोईन के प्रत्येक पैकेट की उपरी तीनों पैकिंग को खोलकर पृथक कर इलेक्ट्रिक कांटा से हेरोईन का पारदर्शी प्लास्टिक पैकिंग में अलग–अलग तोल किया गया तो पैकेट संख्या 01 का वजन 01 किलो 21 ग्राम, पैकेट संख्या 02 का वजन 01 किलो 29 ग्राम, पैकेट संख्या 03 का वजन 01 किलो 27 ग्राम, पैकेट संख्या 04 का वजन 01 किलो 30 ग्राम, पैकेट संख्या 05 का वजन 01 किलो 30 ग्राम, पैकेट संख्या 06 का वजन 01 किलो 36 ग्राम, पैकेट संख्या 07 का वजन 01 किलो 28 ग्राम व पैकेट संख्या 08 का वजन 01 किलो 30 ग्राम होना पाया गया। एक पैकेट की प्लास्टिक की पारदर्शी थैली में से हेरोईन को निकालकर प्लास्टिक की थैली का वजन किया गया तो प्लास्टिक की थैली का वजन 20 ग्राम हुआ। इस प्रकार कुल आठ पैकेटों में कुल 08 किलो 71 ग्राम शुद्ध मादक पदार्थ हेरोईन होना पाई गई।

05. रिपोर्ट में आगे अंकित किया कि प्रत्येक पैकेट में पाई गई हेरोईन को तोल करने के बाद वापिस उन्ही पैकेटों में पूर्व पैकिंग अनसार डालकर प्रत्येक पैकेट को अलग–अलग कपड़े की थेली में डालकर शिल्ड चेपायुक्त कर प्रत्येक पैकेट पर मार्क क्रमश 01 से 08 अंकित किये गये। जोगेन्द्र सिंह के कब्जा में मिले मादक पदार्थ की पोटली के पास एक काले रंग बैग रखा हुआ पाया गया जिसको खोलकर चैक किया गया तो बैग में 500–500 रूपये भारतीय मुद्रा के कुल 13 बंडल पाये गये जिन नोटो को गिना गया तो कुल 650,000 रूपये होना पाये गये तथा बैग में जोगेन्द्रसिंह के आधार कार्ड की एक प्रति मिली। जोगेन्द्र सिंह के कब्जा में बैग में मिले 650,000 रूपये के संबंध में उससे पूछने पर बताया कि उसने कुछ दिन पूर्व एक पैकेट हेरोईन रामचन्द्र पुत्र श्रीराम विश्नोई निवासी 7 बीएलएम नेहहाई को 500,000 रूपये में दिया था तथा एक पैकेट हेरोईन एक दिन पहले रामचन्द्र को 500,000 रूपये में दिया था जिससे उसने रोकड़े रूपये लिये थे यह रकम उन्ही रूपयों में से बची हुई है। जिस पर उक्त रोकड़े रूपये मादक पदार्थ हेरोईन की बिक्री से प्राप्त रकम होने से 650,000 रूपयों को वास्ते वजह सबूत एक प्लास्टिक की थेली में डालकर उसे एक कपड़े की थेली में डालकर शिल्ड चेपायुक्त कर मार्क 09 अंकित किया गया तथा बैग व उसमें मिले जोगेन्द्र सिंह के आधार कार्ड की प्रति तथा हेरोईन के पैकेट बांधने में काम में ली गई चोकडीदार चददर को एक कपडे की थेली में डालकर मार्क 10 अंकित किया जाकर सील चेपायुक्त किया गया।

06. रिपोर्ट में आगे अंकित किया कि भारत सरकार का राजपत्र रजिस्ट्री संख्या डीएल 99004–99 नंबर 802 दिनांक 23.12.2022 के क्रम में मादक पदार्थ कार्यवाही में नमूना सेंपल व कंट्रोल सेंपल मजिस्ट्रेट द्वारा लिये जाने के प्रावधान होने से आईदा मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर नमुना सेंपल व कंट्रोल सेंपल मजिस्ट्रेट द्वारा लिये जाने के पश्चात नमूना सेंपल रासायनिक परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जावेंगे। जोगेन्द्र सिंह से भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ हेरोईन कहाँ से प्राप्त करने के संबंध में पूछताछ की गई तो बताया कि "करीबन एक महिने पहले मेरे मामा माधूसिंह पुत्र तनेराजसिंह निवासी बांकीदास की ढाणी म्याजलार ने मुझे फोन कर हेरोईन ले जाने के लिये बुलाया तो मैंने कहा कि मेरे पास अभी समय नही है तब मुझे दुसरे मामा गुलाब सिंह पुत्र तनेराज सिंह निवासी बांकीदास की ढाणी म्याजलार ने फोन कर माल हेरोईन लेने के लिये म्याजलार आने को कहा तब मै मेरी ईटीयोज गाड़ी लेकर म्याजलार गया। वहाँ पर मेरे मामा गुलाब सिंह व माधुसिंह मिले,

जिनसे मैने 10 पैकेट हेराईन प्राप्त कर मेरी गाड़ी में रखी। मेरे मामा गुलाब सिंह माल हेरोईन पहुंचाने के लिये मेरे साथ गाड़ी मे जैसलमेर आये व मेरे मामा माधुसिंह ने कहा कि रामचन्द्र विश्नोई निवासी मोहनगढ फोन करने के बाद आपके पास आयेगा, जो जितने पैकेट मांगे उससे प्रत्येक पैकेट हेरोईन के पांच लाख रूपये लेकर पैकेट दे देना। करीबन 15–20 दिन पहले रामचन्द्र विश्नोई जैसलमेर आया जिससे पांच लाख रूपये लेकर मैने एक पैकेट हेरोईन दिया व दो दिन पहले रामचन्द्र ने फोन कर बताया कि मैं माल लेने के लिये आ रहा हूं रूपये रोकड़ दे दूंगा कल रामचन्द्र थईयात फांटा पर आया जिसने मुझे फोन किया तो मैं वहाँ पर गया उससे पांच लाख रूपये लेकर मैने उसको एक पैकेट हेराईन का दे दिया। बाकी शेष माल मेरे मामा के कहे अनुसार आगे बेचने का इरादा था। मेरे मोबाईल नंबर 9680804837 व 7597727773 से हेरोईन प्राप्त करने व आगे बेचने हेतु साधारण कॉल व वाटसअप कॉल से बात करता था।" विस्तृत फर्द खाना तलाशी व बरामदगी मादक पदार्थ हेरोईन मुर्तिब की गई।

07. रिपोर्ट में आगे अंकित किया कि मौके पर फर्द नमूना शील मुर्तिब की गई। आरोपी जोगेन्द्र सिंह को धारा 52 एनडीपीएस एक्ट का नोटीस दिया जाकर गिरफतारी के कारणों से अवगत करवाया गया। आरोपी जोगेन्द्रसिंह को बाद जामा तलाशी जरिये फर्द गिरफतार किया गया। जामा तलाशी के दौरान उसी पेंट की दाहिनी जेब में धारा 50 व 52 एनडीपीएस एक्ट के नोटीस मिले जो कब्जा पुलिस में लिये जाकर शामिल सीजर कागजात किये गये। आरोपी की जामा तलाशी में पेंट की दाहिनी जेब में एक मोबाईल फोन विवो कंपनी मॉडल बी 2025 मिला जिसको चैक किया गया तो आईएमईआई नंबर 869329050436511 व आईएमईआई 2 नंबर 869329050436503 होना पाये गये मोबाईल फोन में सिम डाली हुई है। जो मोबाईल फोन तकनीकी साक्ष्य हेतु एक कागज के लिफाफा में डालकर चेपायुक्त कर मार्क 11 अंकित कर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। फर्द नक्शा नजरी बरादमगी स्थल अलग से मुर्तिब की गई। मौके की सम्पूर्ण कार्यवाही के बाद प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया और अनुसंधान के दौरान अभियुक्त को गिरफतार किया जाकर न्यायालय के समक्ष पेश करने पर उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य सहअभियुक्तगण के विरूद्व अपराध अन्तर्गत धारा 8/21, 8/29 एनडीपीएसएक्ट के तहत आरोप–पत्र पेश किया गया एवं तत्पश्चात प्रकरण में गवाह पीडब्ल्यू 01 भवानीसिंह के बयान रिजर्व होने से पूर्ण होना शेष है एवं अन्य गवाह पीडब्ल्यू 02 रामेश्वरलाल एवं पीडब्ल्यू 03 नेमसिंह के

बयान लेखबद्ध होकर वर्तमान में प्रकरण साक्ष्य अभियोजन के स्तर पर दिनांक 15.05.2026 को लंबित है। प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति इस प्रकार है–

(ए) मामले का विवरण

एफआईआर नंबर और तारीख	107/2023, दिनांक 10.04.2023
पुलिस स्टेशन, जिला और राज्य	कोतवाली जैसलमेर, जिला जैसलमेर राज्य राजस्थान
धाराएं लगाई गईं	8/21, 29 एनडीपीएस एक्ट
अधिकतम सज़ा निर्धारित	20 वर्ष

(बी) अभिरक्षा एवं प्रक्रियात्मक अनुपालन

गिरफ़्तारी की तारीख	02.06.2023
हिरासत की कुल अवधि बीत गई	1062 दिन

(सी) मुकदमें की स्थिति

कार्यवाही का चरण (तफ्तीश/आरोप पत्र/संज्ञान/आरोपों का निर्धारण/परीक्षण)	आरोप पत्र
आरोप पत्र में उल्लिखित गवाहों की कुल संख्या	32
जाँच किए गए अभियोजन पक्ष के गवाहों की संख्या	03

(डी) आपराधिक इतिहास

क्र.सं.	**एफआईआर नंबर और पुलिस स्टेशन**	**धारा**	**स्थिति (लंबित/दोषमुक्त/दोषी)**
01.	37/2022 झाब जिला जालोर	धारा 341, 323, 326, 308 भारतीय दंड संहिता व 3(2)(V)(Va) एससीएसटी एक्ट	जैर ट्रायल
02.	42/2022 गडरा रोड	08/21, 24, 25, 29 एनडीपीएस एक्ट	जैर अनुसंधान
03.	17/2023 झिंझनियाली, जिला जैसलमेर	8/21 एनडीपीएस एक्ट	जैर अनुसंधान
04.	31/2023 मोहनगढ जिला जैसलमेर	8/21 एनडीपीएस एक्ट	जैर अनुसंधान

(ई) पूर्व जमानत आवेदन

क्र.सं.	अदालत	केस नंबर	नतीजा
01.	विशिष्ट न्यायाधीश, एनडीपीएस मामलात, जैसलमेर (सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर)	492/2023	आंशिक स्वीकार, जोगेन्द्रसिंह अस्वीकार
02.	विशिष्ट न्यायाधीश, एनडीपीएस मामलात, जैसलमेर (सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर)	131/2024	आंशिक स्वीकार
03.	विशिष्ट न्यायाधीश, एनडीपीएस मामलात, जैसलमेर (सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर)	177/2024	आंशिक स्वीकार
04.	विशिष्ट न्यायाधीश, एनडीपीएस मामलात, जैसलमेर (सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर)	252/2024	आंशिक स्वीकार
05.	विशिष्ट न्यायाधीश, एनडीपीएस मामलात, जैसलमेर (सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर)	298/2024	आंशिक स्वीकार
06.	विशिष्ट न्यायाधीश, एनडीपीएस मामलात, जैसलमेर (सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर)	307/2024	नॉटप्रेस में अस्वीकार
07.	विशिष्ट न्यायाधीश, एनडीपीएस मामलात, जैसलमेर (सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर)	349/2024	अस्वीकार
08.	विशिष्ट न्यायाधीश, एनडीपीएस मामलात, जैसलमेर (सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर)	365/2024	स्वीकार
09.	विशिष्ट न्यायाधीश, एनडीपीएस मामलात, जैसलमेर (सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर)	395/2024	अस्वीकार
10.	विशिष्ट न्यायाधीश, एनडीपीएस मामलात, जैसलमेर (सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर)	433/2024	अस्वीकार
11.	विशिष्ट न्यायाधीश, एनडीपीएस मामलात, जैसलमेर (सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर)	511/2024	आंशिक स्वीकार
12.	विशिष्ट न्यायाधीश, एनडीपीएस मामलात, जैसलमेर (सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर)	12/2025	अस्वीकार
13.	विशिष्ट न्यायाधीश, एनडीपीएस मामलात, जैसलमेर (सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर)	24/2025	स्वीकार
14.	विशिष्ट न्यायाधीश, एनडीपीएस मामलात, जैसलमेर (सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर)	183/2025	अस्वीकार
15.	विशिष्ट न्यायाधीश, एनडीपीएस मामलात, जैसलमेर (सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर)	196/2025	अस्वीकार
16.	विशिष्ट न्यायाधीश, एनडीपीएस मामलात, जैसलमेर (सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर)	272/2025	अस्वीकार

17.	विशिष्ट न्यायाधीश, एनडीपीएस मामलात, जैसलमेर (सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर)	308/2025	अस्वीकार
18.	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय	14081/2023	फैसल
19.	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय	14904/2024	नॉटप्रेस में अस्वीकार
20.	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय	964/2025	लंबित
21.	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय	7542/2025	स्वीकार
22.	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय	12991/2025	स्वीकार
23.	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय	12992/2025	स्वीकार

(एफ) जबरदस्ती की प्रकियाएँ

क्या कोई गैर–जमानती वारंट जारी किया गया था?	–
क्याा उसे घोषित अपराधी घोषित किया गया था?	–

08. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने जाहिर किया कि प्रार्थी/अभियुक्त 1062 दिन, दिनांक 02.06.2023 से न्यायिक अभिरक्षा में है। यह भी जाहिर किया कि सहअभियुक्त जोगेंद्रसिंह, जिससे बरामदगी हुई है, उसकी जमानत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 12991/2025 द्वारा प्रदान की जा चुकी है। यह भी जाहिर किया कि प्रार्थी/अभियुक्त से किसी तरह की बरामदगी नहीं हुई है न ही प्रार्थी द्वारा कोई सामान खरीदा व बेचा गया है। यह भी जाहिर किया के प्रार्थी/अभियुक्त की मुख्य अभियुक्त के साथ भी कोई टेलिफोनिक वार्ता या कॉल डिटेल नहीं है। हस्तगत प्रकरण में आरोप पत्र पेश हो चुका है व अनुसंधानकर्ता के बयान भी हो चुके हैं। अनुसंधानकर्ता ने स्पष्ट जाहिर किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। इसके साथ ही विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा न्यायिक दृष्टान्त एस.बी.क्रिमिनल मिसलेनियस बैल एप्लीकेशन नंबर 861/2021 खेतसिंह बनाम राज.राज्य आदेश दिनांक 25.01.2021 पेश कर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने की माँग की।

09. विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जामनत आवेदन का विरोध करते हुए जाहिर किया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला के आधार पर मौका तस्दीक कराया गया है तथा प्रार्थी/अभियुक्त गुलाबसिंह ने जोगेन्द्रसिंह को जो माल दिया है, उस जगह को तथा

जो जगह पहले ही जोगेन्द्रसिंह तस्दीक करवा चुका था, उस जगह को भी प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा तस्दीक कराया गया है। यह भी जाहिर किया कि जोगेन्द्रसिंह से 6,50,000/– रुपये व 08 किलो 71 ग्राम शुद्ध मादक पदार्थ हेरोईन बरामद हुए हैं, जो मादक पदार्थ वाणिज्यिक मात्रा है। यह भी जाहिर किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत STATE OF PUNJAB VERSUS SUKHWINDER SINGH@GORA. 2026 INSC 411. Criminal Appeal No. Of 2026 (ARISING OUT OF SLP (CRL.) NO. 5020 OF 2026) में यह प्रतिपादित किया गया है कि अनुच्छेद 21 के प्रावधान धारा 37 के राइडर को खत्म नहीं करते हैं। यह भी जाहिर किया कि प्रार्थी/अभियुक्त धारा 29 एनडीपीएस एक्ट का आरोपी है। यह भी जाहिर किया कि प्रार्थी/अभियुक्त गुलाबसिंह के विरुद्ध अन्य दो प्रकरण दर्ज है, अतः जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

10. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जाहिर किया कि अन्य दो प्रकरणों में प्रार्थी/अभियुक्त से किसी तरह की बरामदगी नहीं हुई है, झूठे प्रकरण दर्ज किए गए हैं, अतः जमानत पर रिहा करने का निवेदन किया।

11. मैंने विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर मनन किया एवं केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। मुख्य अभियुक्त जोगेन्द्रसिंह की जमानत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 12991/2025 द्वारा हो चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त से किसी तरह की कोई बरामदगी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त ने जो मौका तस्दीक कराया है, वो पहले से पुलिस के पास तस्दीकशुदा है। प्रार्थी/अभियुक्त से धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला के तहत कोई बरामदगी नहीं हुई है। सहअभियुक्त द्वारा पुलिस को दिए हुए कथन मान्य नहीं है। मुख्य अभियुक्त जोगेन्दसिंह, जिसकी जमानत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की जा चुकी है तथा प्रार्थी/अभियुक्त गुलाबसिंह, जो कि कुल 1062 दिन, दिनांक 02.06.2023 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं, अतः अतः इस स्टेज पर समस्त तथ्यों व परिस्थितियों एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त खेतसिंह बनाम राज.राज्य में प्रतिपादित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

12. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **गुलाबसिंह** पुत्र तनेराजसिंह, उम्र 50 वर्ष, निवासी मिठडाउ हाल बांकीदास की ढाणी, म्याज्लार, पुलिस थाना झिंझनियाली, जिला जैसलमेर द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक

सुरक्षा सहिंता स्वीकार कर आदेश है कि यदि प्रार्थी 50,000/– रुपये की एक जमानत एवं इसी राशि का एक मुचलका इस न्यायालय की संतुष्टि का प्रकरण में विचारण पूर्ण होने तक इस न्यायालय में प्रत्येक सुनवाई की तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित रहने के आशय का पेश कर तस्दीक करा दें, तो प्रार्थी को प्रथम रिपोर्ट संख्या 107/2023, प्रकरण संख्या 114/2023, राज्य बनाम जोगेन्द्रसिंह व अन्य, पुलिस थाना कोतवाली जैसलमेर, जिला जैसलमेर में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(ओमी पुरोहित)
विशिष्ट न्यायाधीश,
एनडीपीएस मामलात,
जैसलमेर

13. आदेश आज **दिनांक 29.04.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमी पुरोहित)
विशिष्ट न्यायाधीश,
एनडीपीएस मामलात,
जैसलमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.05.13 10:28:27 IST